



6. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग-1 अध्याय में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
7. यदि अभ्यर्थी निश्चित अवधि 15 दिवस में भी रिपोर्ट नहीं करता है और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को भिजवाता है तो उसके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
8. कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.02.2001 के अनुसार मृतक के अन्य आश्रितों का उचित तौर पर भरण पोषण नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी की यह नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
9. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश स्वतः ही लागू होंगे, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवा लाभ देय होंगे।
10. कार्यग्रहण करते समय अभ्यर्थी को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे—
 1. पुलिस चरित्र सत्यापन 2. सक्षम स्तर से जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र 3. शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि का प्रमाण—पत्र, 4. परिवार का विवरण, 5. दो राजपत्रित अधिकारियों से प्राप्त चरित्र प्रमाण—पत्र, 6. दहेज नहीं लेने—देने का शपथ पत्र, दिनांक 01.06.2002 के पश्चात दो से अधिक संतान नहीं होने सम्बन्धी शपथ पत्र/घोषणा पत्र 7. मृत सरकारी कर्मचारी का कोई भी वैध आश्रित, कर्मचारी की मृत्यु के समय एवं अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान करते समय तक, अर्थात् दोनों ही दशाओं में, राज्य सरकार अथवा केन्द्र या अन्य राज्य सरकारों के अधीन एवं ऐसे किसी विधि द्वारा स्थापित बोर्ड/संगठन/निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण में हो, के अधीन सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिये, के संबंध में शपथ पत्र एवं अन्य शपथ पत्रों की मूल प्रतियां कार्यग्रहण करते समय सक्षम अधिकारी के समक्ष पेश कर सत्यापित प्रतियां(एक सेट) प्रस्तुत करनी होंगी अन्यथा कार्यग्रहण नहीं करवाया जायेगा।

(कल्पना अग्रवाल)
निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग,
राजस्थान, जयपुर

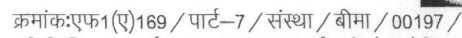
Signature valid

Digitally signed by Kalpana Agrawal
Designation: Director
Date: 2023.04.04 10:46:06 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3404457

c:\Digital\Signature\Fidysystem\MSI\Store\Digital\JV\Interact\PDF\148026687556.docx





दिनांक : 05-04-2023

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ अति.निदेशक(सतर्कता), राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, **जयपुर संभाग**—प्रथम, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, **जयपुर शहर** उक्त वर्णित बिन्दु संख्या 10 की पालना सुनिश्चित करे।
7. सिस्टम एनालिस्ट, राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग, मुख्यालय, जयपुर उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करे।
8. केडर स्ट्रैथ लिपिक/ सेवा पुस्तिका लिपिक/ वरिष्ठता निर्धारक लिपिक/ए.सी.आर. संधारित लिपिक, मुख्यालय, जयपुर
9. **श्री भूपेन्द्र सिंह पुत्र स्व श्री ओम सिंह** पता:—ग्रा.पो. वार्ड न.05 बावड़ी, जिला सीकर—332411 मो.न.8955212316 को प्रेषित कर लेख है कि आप उक्त वर्णित बिन्दु संख्या 10 के अनुसार दस्तावेजों की पूर्ति करते हुए 15 दिवस में कार्यग्रहण करना सुनिश्चित करे।
10. निजी पत्रावली/सम्बन्धित पत्रावली/रक्षित पत्रावली ।

(कल्पना अग्रवाल)
निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग,
राजस्थान, जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Kalpana Agrawal
Designation: Director
Date: 2023.04.04 16:46:06 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3404457

2:\Adm\GOV\Balasbani\FileSystem\DM5\Store\Dir\GOV\Intranet\PDF\1680206683366.doc

